संख्या-12/2021/1281/77-6-2021-5(एम)/2013टी.सी.(मेगा)-1

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त संबन्धित अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त संबन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. प्रबन्ध निदेशक,
   पिकप/उ0प्र0वित्तीय निगम।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 26 मार्च, 2021

विषयः- राज्य में निवेश को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित विभिन्न नीतियों के अन्तर्गत संचालित योजनाओं में इन्सेन्टिव के रूप में एस.जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति की सुविधा हेतु मानक परिचालन प्रक्रिया (स्टैण्डर्ड आपरेटिंग प्रोसीजर) (एस.ओ.पी.) के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-1395/77-6-2020-5(एम)/2017टी.सी.-2 दिनांक 12.06.2020(यथासंशोधित दिनांक 14.12.2020) में संशोधन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 एवं उसके अन्तर्गत जारी नियमावली, राज्य में निवेश को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित सभी अन्य नीतियों तथा अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अन्तर्गत संचालित मेगा परियोजनाओं एवं औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2003/2012 के अन्तर्गत संचालित योजनाओं में इन्सेन्टिव के रूप में एस.जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति की सुविधा हेतु मानक परिचालन प्रक्रिया (स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) के निर्धारण के संबंध में शासनादेश संख्या-1395/77-6-2020-5(एम)/2017टी.सी.-2, दिनांक 12.06.2020 एवं शासनादेश संख्या-39/2020/3955/77-6-2020-6(एम)/2018 दिनांक 14 दिसम्बर, 2020 जारी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अन्तर्गत गठित इम्पावर्ड कमेटी की दिनांक 15.03.2021 को सम्पन्न बैठक में इम्पावर्ड कमेटी द्वारा नेट एस.जी.एस.टी. के आगणन में आने वाली कठिनाई को संज्ञान में लेते हुए की गयी संस्तुति के क्रम में औद्योगिक विकास विभाग के प्रस्ताव पर मा0 मंत्रिपरिषद के अनुमोदन से मानक परिचालन प्रक्रिया(एस.ओ.पी.) के शासनादेश दिनांक 12.06.2020(यथासंशोधित दिनांक 14.12.2020) को निम्नवत् संशोधित किये जाने का निर्णय लिया गया हैः-

(1) किसी वित्तीय वर्ष के दौरान संगत नीति में दी गयी समयावधि के अनुसार इकाई द्वारा एस.जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत किये जाने पर निर्धारित एस.ओ.पी. के अनुसार आंकलित आवेदक इकाई को देय धनराशि का 90 प्रतिशत भुगतान कर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

दिया जाएगा। शेष 10 प्रतिशत क्लेम के भुगतान हेतु इकाई द्वारा अपना आवेदन नोडल एजेन्सी/प्रशासकीय विभाग को वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उ0प्र0 एस.जी.एस.टी. अधिनियम के अंतर्गत राज्य कर विभाग को नियत प्रारूप (वर्तमान में जी.एस.टी.आर.-9 एवं जी.एस.टी. आर.-9सी) पर ऑनलाइन दाखिल वार्षिक कर विवरणी की प्रति के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। प्रशासकीय विभाग द्वारा उक्त आवेदन पर राज्य कर विभाग से निम्न आशय की आख्या प्राप्त की जाएगी कि:-

i. आवेदक इकाई द्वारा सम्बन्धित वित्तीय वर्ष हेतु उक्त वार्षिक कर विवरणी (जी0एस0टी0आर0-9 एवं जी0एस0टी0आर0-9सी), दाखिल कर दी गई है अथवा नहीं।

ii. उक्त इकाई के विरूद्ध राज्य कर विभाग के द्वारा उ0प्र0 एस.जी.एस.टी. अधिनियम के अनुसार किसी प्रकार का कोई नोटिस सुसंगत वित्तीय वर्ष हेतु जारी किया गया है अथवा नहीं।

राज्य कर विभाग से उक्तानुसार वार्षिक कर विवरणी दाखिल किए जाने तथा किसी नोटिस के जारी न किए जाने की पुष्टि प्राप्त होने के उपरांत प्रशासकीय विभाग द्वारा अवशेष 10 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जाएगा। यदि किसी नोटिस के निर्गमन की सूचना राज्य कर विभाग अथवा अन्य किसी स्रोत से प्राप्त होती है, तो अवशेष राशि का भुगतान नोटिस के निस्तारण तथा इस आशय की पुष्टि राज्य कर विभाग से प्राप्त होने के उपरांत ही किया जा सकेगा।

2- अतः शासनादेश संख्या-1395/77-6-2020-5(एम)/2017टी.सी.-2, दिनांक 12.06.2020 (यथासंशोधित दिनांक 14 दिसम्बर, 2020) को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए। उक्त शासनादेश के शेष प्रावधान/शर्तें यथावत रहेंगी।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

अरविन्द कुमार
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-12/2021/1281(1)/77-6-2021-05(एम)/13टी.सी.(मेगा)-1,तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
3. स्टाफ आफिसर,मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।
4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इनवेस्ट यू0पी0 को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इनवेस्ट यू0पी0 की वेबसाइट पर उक्त शासनादेश अपलोड कराते हुए 150 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर।
6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, समस्त औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0।
8. समस्त अनुभाग, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-6
10. नियोजन अनुभाग-1
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रजनी कान्त पाण्डेय
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।